संख्या-996/2025/75/22-2-2024-17(122)/2024

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 06 अगस्त, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पुष्पेन्द्र पुत्र श्री मुन्नी, निवासी जनपद-मथुरा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-35546/प्रो0-7/सीमित/एम-30.11.2023 दिनांक-11.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पुष्पेन्द्र पुत्र श्री मुन्नी, जवरा, थाना-मांट, जनपद-मथुरा का निवासी है। दिनांक 20.05.2012 को बंदी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रास्ते में घात लगाकर बैठे तभी वादी गिरीश का लड़का सुभाष दुकान के पास पहुंचते ही वादी के लड़के को सरिया से पीटना शुरू कर दिया और वादी का लड़का बेहोश होकर गिर गया और वादी के शोर मचाने पर अभियुक्तगण वहां से भाग गये। सुभाष की उपचार के दौरान दिनांक 21.05.2012 को मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण संख्या-507/2012 भा0द0वि0 की धारा-304/34, 504 के अन्तर्गत मा0 सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश, मथुरा के आदेश दिनांक 31.01.2019 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया, बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है, बंदी द्वारा दिनांक-25.06.2023 तक 04 वर्ष 10 माह, 23 दिन की अपरिहार तथा 05 वर्ष, 07 माह, 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, जेल से छूटने पर पुन अपराध कर सकने, बन्दी के छूटने से किसी भी घटना से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 20.05.2012 को बंदी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रास्ते में घात लगाकर बैठे तभी वादी गिरीश का लड़का सुभाष दुकान के पास पहुंबते ही वादी के लड़के को सरिया से पीटना शुरू कर दिया और वादी का लड़का बेहोश होकर गिर गया और वादी के शोर मचाने पर अभियुक्तगण वहां से भाग गये। सुभाष की उपचार के दौरान दिनांक 21.05.2012 को मृत्यु हो गयी। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी पुष्पेन्द्र पुत्र मुन्नी सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पुष्पेन्द्र (बन्दी संख्या-17364) पुत्र श्री मुन्नी, निवासी जनपद-मथुरा के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश मिश्र

उप सचिव।

संख्या-996/2025/75(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-996/2025/75/22-2-2024-17(122)/2024

दिनांक 06 अगस्त, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पुष्पेन्द्र पुत्र श्री मुन्नी, जवरा, थाना-मांट, जनपद-मथुरा का निवासी है। दिनांक 20.05.2012 को बंदी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रास्ते में घात लगाकर बैठे तभी वादी गिरीश का लड़का सुभाष दुकान के पास पहुंचते ही वादी के लड़के को सरिया से पीटना शुरू कर दिया और वादी का लड़का बेहोश होकर गिर गया और वादी के शोर मचाने पर अभियुक्तगण वहां से भाग गये। सुभाष की उपचार के दौरान दिनांक 21.05.2012 को मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण संख्या-507/2012 भा0द0वि0 की धारा-304/34, 504 के अन्तर्गत मा0 सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश, मथुरा के आदेश दिनांक 31.01.2019 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया, बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है, बंदी द्वारा दिनांक-25.06.2023 तक 04 वर्ष 10 माह, 23 दिन की अपरिहार तथा 05 वर्ष, 07 माह, 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, जेल से छूटने पर पुन अपराध कर सकने, बन्दी के छूटने से किसी भी घटना से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 20.05.2012 को बंदी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रास्ते में घात लगाकर बैठे तभी वादी गिरीश का लड़का सुभाष दुकान के पास पहुंबते ही वादी के लड़के को सरिया से पीटना शुरू कर दिया और वादी का लड़का बेहोश होकर गिर गया और वादी के शोर मचाने पर अभियुक्तगण वहां से भाग गये। सुभाष की उपचार के दौरान दिनांक 21.05.2012 को मृत्यु हो गयी। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी पुष्पेन्द्र पुत्र मुन्नी सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।